FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

सुमित बनाम मूंगाराम वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 496 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/957

तारीख व क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11-08-2025		

रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री होशियार सिंह बडसरा एड. उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थी संख्या–1 को आगामी तारिख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1678, 1679, 1693, 1675, 1676, 1677, 1697, 1663, 1664, 1695, 1696 राजस्व ग्राम चला पटवार हल्का चला व भूमि खसरा नम्बर 236, 237, 275/238, 276/238, 232, 233, 273/235, 274/235 राजस्व ग्राम बागपत नगर पटवार हल्का चला व भूमि खसरा नम्बर 591, 592, 594, 595 राजस्व ग्राम ठिकरिया, पटवार हल्का ठिकरिया, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में प्रार्थी के हिस्से का बेचान न करें तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।**

उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.09.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.10.06 15:49:50 IST

Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव

उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना (सीकर)

15.9.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण कार्यवाही में सुनवाई हेतु बार-बार आवाज दिलवाई गई, बावजूद वकील प्रार्थी अथवा पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये। अतः वकील प्रार्थी अथवा पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रकरण कार्यवाही को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:49:50 IST
Reason: SelfAttested